(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1194–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–2013 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर, प्रकरण क्र. 86/बी–103/2012–13/33

राधाकृष्ण मृत तर्फे वैधानिक प्रतिनिधिगण
1–बद्रीलाल पिता स्व0 राधाकिशन
निवासी ग्राम राउ जिला इंदौर
2–मोहन पिता स्व0 राधाकिशन
3–बाबूलाल पिता स्व0राधाकिशन
4–सुरेश पिता स्व0राधाकिशन
तीनों निवासी सदर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–कलेक्टर ऑफ स्टाम्प और वरिष्ठ जिला रजिस्ट्रार
इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश शासन
2–मांगीलाल पिता नंदराम पाटीदार (मृत वारिसान)
1–श्रीमती जमनाबाई पति मांगीलाल
2–मुकेश पिता स्व0 मांगीलाल पाटीदार
3–प्रकाश पिता स्व0मांगीलाल पाटीदार
तीनों निवासी बड़ा बाजार म.नं.1/151
राउ तहसील व जिला इंदौर
4–श्रीमती कविता पति भरत मुकाती
निवासी रंगवासा राउ तहसील व जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

.....

श्री जसवंतसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री जे0के0राजौरिया, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक इंदौर द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज इम्पाउण्ड कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर को भेजा गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 86/बी–103/12–13/33 दर्ज कर दिनांक 27–7–13 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 52,86,000/– अवधारित करते हुये रुपये 6,02,604/– मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया जाकर रुपये 1,00,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । इस प्रकार रुपये 7,02,604/– आवेदक को जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन दस्तावेज से संपत्ति का केवल 1/3 भाग अंतरित हो रहा है अतः उस पर ही मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया जा सकता है, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा सम्पूर्ण संपत्ति का बाजार मूल्य अवधारित करते हुये मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है कि अधिनियम में पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति एवं संरचना के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन करने के कारण अधिरोपित शास्ति भी उचित है। उनके द्वारा निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

प्रश्नाधीन विक्रित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण से यह प्रमाणित नहीं होता है कि केवल 1/3 भाग की भूमि का विक्रय किया जा रहा है । इस न्यायालय में तर्क के दौरान भी आवेदकगण की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि सम्पूर्ण भूमि का विक्रय नहीं कर 1/3 भाग की भूमि का विक्रय किया गया है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवधारित बाजार मूल्य एवं निर्धारित मुद्रांक शुल्क वैधानिक एवं उचित है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर